संख्या- 169 /2024/ 590 /नौ-9-2024-001-ई-1751304

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2024**

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत गोरखपुर शहर में Supply, Installation, Integration of CCTV Camera and Interior for Control and Command Center की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-68/2023/2108/नौ-9-2023-001-ई-1751304, दिनांक 30.10.2023 द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत गोरखपुर शहर में Supply, Installation, Integration of CCTV Camera and Interior for Control and Command Center की परियोजना कुल लागत धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रू0 515.30 लाख (रूपये पांच करोड़ पंद्रह लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 257.65 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तावन लाख पैंसठ हजार मात्र) कतिपय शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1831/106/SSCM/2021-22, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रश्नगत परियोजना हेतु अनुबंध की कुल लागत धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रू0 512.77 लाख के सापेक्ष आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर शहर में Supply, Installation, Integration of CCTV Camera and Interior for Control and Command Center की परियोजना हेतु अनुबंध की कुल लागत धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रू0 512.77 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि समायोजित करते हुये **आगामी किश्त की धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रू0 255.12 लाख (रूपये दो करोड़ पचपन लाख बारह हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाईन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, गोरखपुर को अंतरित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2024 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3) शासनादेश संख्या-68/2023/2108/नौ-9-2023-001-ई-1751304, दिनांक 30.10.2023 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,55,12,000 (रूपये दो करोड़ पचपन लाख बारह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037** लेखा शीर्षक **2217050510300** राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
27.3.24
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या-169 /2024/ 590 /नौ-9-2024-001--ई-1751304, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
9. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
27.3.24
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।